SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

ग्रामीण भारत के सामाजिक–आर्थिक स्थिति के परिवर्तन में मनरेगा की भूमिकाः बिहार के संदर्भ में

संजीव कुमार, शोधार्थी, अर्थशास्त्र विभाग,
सुप्पन प्रसाद सिंह, (Ph.D.), अर्थशास्त्र विभाग,
पटना विश्वविद्यालय, पटना, बिहार, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Corresponding Author
संजीव कुमार, शोधार्थी, अर्थशास्त्र विभाग,
सुप्पन प्रसाद सिंह, (Ph.D.), अर्थशास्त्र विभाग,
पटना विश्वविद्यालय, पटना, बिहार, भारत

shodhsamagam1@gmail.com

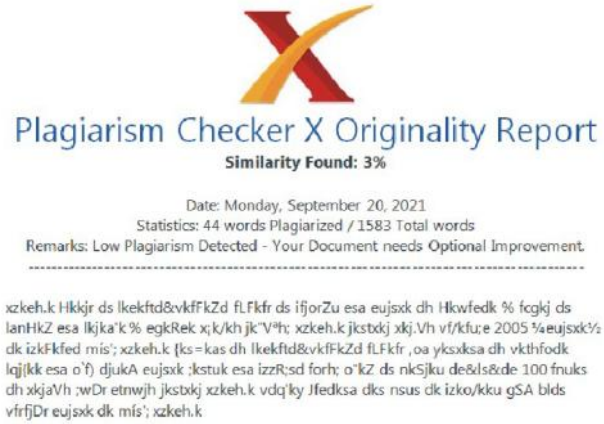

Received on : 20/09/2021
Revised on : -----
Accepted on : 27/09/2021
Plagiarism : 03% on 20/09/2021

शोध सार

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम 2005 (मनरेगा) का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति एवं लोगों की आजीविका सुरक्षा में वृद्धि करना। मनरेगा योजना में प्रत्येक वितीय वर्ष के दौरान कम–से–कम 100 दिनो की गारंटी यूक्त मजदूरी रोजगार ग्रामीण अकुशल श्रमिकों को देने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त मनरेगा का उद्देश्य ग्रामीण टिकाऊ परिसम्पत्तियों का सृजन करना ताकि बुनियादी गत सुविधाओं को प्राप्त करने में सहयोग मिल सके। मनरेगा द्वारा "कृषि आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था" में वृद्धि के साथ–साथ सतत् विकास के लिए पूरी क्षमता के साथ मनरेगा विकास इंजिन के रूप में कार्य कर रही है। इसलिए वर्तमान अध्ययन में चयनित क्षेत्रों के कार्यान्वयन, समानता, दक्षता एवं पारदर्शीता की समस्याओं का आंकलन करने हेतु एक प्रयास किया गया हैं, मनरेगा में परिवर्तन हेतु उपर्युक्त सुझावों के साथ।

मुख्य शब्द

मनरेगा, कृषि, सामाजिक, रोजगार, ग्रामीण विकास.

ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के अस्तित्व का मुख्य कारण बेरोजगारी है। इसके उन्मूलन हेतु भारत सरकार द्वारा अनेक योजनाओं की शुरूआत की गई। ग्रामीण अकुशल श्रमिकों के बेहतर जीवनयापन हेतु, साथ ही बुनियादीगत सुविधाओं का सृजन एवं संस्थानों की स्थापना की गई, ताकि ग्रामीण गरीबी को कम किया जा सके। इस उपरोक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, भारत सरकार द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् कई ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों जैसे–ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना (TRYSEM, 1979) समन्वित ग्रामीण

विकास कार्यक्रम (IRDP, 1980), राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (NREP, 1980), महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम (DWCRA, 1982–83), ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (RLEGP, 1983), जवाहर रोजगार योजना (1989), अपना गाँव अपना काम योजना (AGPKY, 1991) रोजगार आश्वासन योजना (SAS, 1923) स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना (SJGSY, 1999), सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (NFFWP, 2004) इत्यादि कार्यक्रमों की शुरूआत की गई है। लेकिन उपरोक्त कार्यक्रमों से गरीबी एवं ग्रामीण बेरोजगारी को समाप्त करने में अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुआ। भारत सरकार के सामने ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त गरीबी एवं बेरोजगारी की स्थिति विद्यमान थी, जो देश के विकास को किसी–न–किसी रूप में प्रभावित करती है। इसी को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों हेतु एक महत्वाकांक्षी योजना 'मनरेगा अधिनियम 2005' पारित की गई। मनरेगा योजना को 2 फरवरी 2006 से देश के अत्यन्त 200 पिछड़े जिलों में क्रियान्वयन, प्रथम चरण में किया गया। द्वितीय चरण 2007–08 में 130 जिले को और शामिल कर लिया। बाकी तीसरे चरण में देश के सभी ग्रामीण जिलों को 1 अप्रैल 2008 में सम्मलित किया गया है।

मनरेगा के अन्तर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ग्रामीण परिवारों के व्यस्क अकुशल श्रमिकों को न्यूनतम 100 दिनों का शारीरिक श्रम देने का प्रावधान है। इसमें उसी श्रमिकों को काम दिया जायेगा, जो काम करने हेतु इच्छुक है। मनरेगा श्रमिकों को मनरेगा में कार्य के लिए पंजीकरण पहले करवाना पड़ता है, इसके उपरांत उन्हें मनरेगा में कार्य दिया जाता है। यदि किसी कारणवश पंजीकरण का अवधि के पश्चात् श्रमिकों को 15 दिनों तक लगातार काम न मिलने की स्थिति में राज्य सरकार बेरोजगारी भत्ता का पूर्णतः वहन करेगी। मनरेगा कार्यक्रम में केन्द्र एवं राज्य सरकार के व्यय की हिस्सेदारी 90:10 है तथा इस योजना में श्रम एवं सामग्री की हिस्सेदारी 60:40 का प्रावधान है। यह योजना ग्रामीण परिवारों की आजीविका सुरक्षा एवं उनकी सामाजिक–आर्थिक स्थिति को बेहतर करने में मददगार साबित हुई है।

भारत में मनरेगा अधिनियम अन्तर्गत "काम के अधिकार" जैसी कानून श्रमिकों हेतु पहली बार सम्मिलित की गई है, जो मनरेगा अधिनियम को अन्य ग्रामीण योजनाओं से अद्वितीय बनाता है। मनरेगा योजना द्वारा ग्रामीण प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर विकास में अमूल्य योगदान दे रहा है, जैसे–वृक्षारोपण का कार्य, नहरों एवं तालाबों का निर्माण इत्यादि। कृषि उत्पादन पर मनरेगा का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। इसका ग्रामीण विकास, श्रमिकों के जीवनयापन, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन, ग्रामीण श्रमिकों के आय पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है।

मनरेगा का महत्व

मनरेगा योजना ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में अद्वितीय योगदान दे रहा है, जिसके कारण वहाँ के लोगों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है। मनरेगा कार्यक्रम का महत्व निम्नलिखित है:

1. प्रत्येक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 100 दिनों की गारंटीयुक्त रोजगार का प्रावधान।
2. माँग आधारित रोजगार।
3. अकुशल शारीरिक श्रम का प्रावधान।
4. कुल पंजीकृत कार्यरत श्रमिकों में 1/3 महिला श्रमिकों का होना अनिवार्य।
5. मजदूरी का भुगतान डाकघरों तथा बैंक खातों द्वारा।
6. श्रमिकों को अपने गाँव से 5 किमी० की सीमा से बाहर कार्य करवाने की स्थिति में उन्हें मजदूरी का 10 प्रतिशत अतिरिक्त एवं परिवहन भत्ता देने का प्रावधान।
7. कार्यस्थल पर सेड, प्राथमिक उपचार, पेयजल की सुविधा इत्यादि का होना अनिवार्य है।
8. महिला श्रमिकों हेतु विशेष सुविधा जैसेः महिलाओं के विश्राम हेतु अलग शेड, बच्चों हेतु अतिरिक्त सुविधाएँ इत्यादि।

9. मनरेगा का क्रियान्वयन एवं योजना की जिम्मेदारी पंचायती राज संस्थाओं की है।

मनरेगा द्वारा कार्य

मनरेगा के अन्तर्गत कई प्रकार की कार्य करवायी जाती है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के साथ–साथ श्रमिकों के जीवनयापन एवं ग्रामीणों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाया जा सके। इसके तहत् निम्ननिखित प्रकार का कार्य होता है:

1. जल संरक्षण एवं जल संचयन।
2. वनीकरण–सूखा ग्रस्त क्षेत्र सहित।
3. सिंचाई हेतु नहर का निर्माण।
4. तालाब का निर्माण।
5. अनुसूचित जाति एवं जनजाति स्वामित्व वाले भूमि हेतु सिंचाई सुविधा का प्रावधान।
6. पारंपरिक जल निकायों के नवीकरण का कार्य।
7. भूमि विकास का कार्य।
8. बाढ़ नियंत्रण का कार्य।
9. सभी मौसम में पहुँच हेतु ग्रामीण सड़कों का निर्माण कार्य।
10. अन्य कार्य, राज्य सरकारों के परामर्श से केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है कि अन्य नए प्रकार का काम मनरेगा में जोड़ा जाए।

अध्ययन का उद्देश्य

वर्तमान शोध पत्र प्रकाशित करवाने का उद्देश्य भारत के बिहार राज्य की सामाजिक–आर्थिक स्थिति के परिवर्तन एवं ग्रामीण विकास में मनरेगा की भूमिका का कार्यान्वयन एवं दक्षतापूर्ण विश्लेषण करना है।

मनरेगा योजना का क्रियान्वयन

भारत सरकार द्वारा बिहार सहित देश के समस्त 604 ग्रामीण जिलों में मनरेगा का विस्तार 1 अप्रैल 2008 से कर दिया। इसकी घोषणा करते हुए तात्कालीन केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह द्वारा वित्तीय वर्ष 2008–09 में विस्तारित मनरेगा योजना हेतु 16,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

मनरेगा में आवंटित राशि

वित्तीय वर्ष	आवंटित राशि (करोड़ रुपये में)
2006–07	11,000
2007–08	13,102
2008–09	16,000
2009–10	40,000
2014–15	36,025
2018–19	69,649
2020–21	1,11,192 (61,000+50,192 कोविड के दौरान)
2021–22	73,000 (अनुमानित)

(स्रोतः Indian Economy Survey & Union Budget, 2021–22)

वित्तीय वर्ष 2007–08 में 3.50 करोड़ परिवारों द्वारा मनरेगा में रोजगार की माँग की थी, जबकि 3.40 करोड़

परिवारों को रोजगार प्रदान किया गया। इस अवधि में 144 करोड़ कुल श्रम दिवस सृजित हुआ। अनुसूचित जातियों, जनजातियों और महिलाओं की अत्यधिक भागीदारी दर्ज की गई थी। इसी वित्तीय वर्ष में मनरेगा पर कुल व्यय 13,102 करोड़ रू० व्यय हुए, जिसमें 8,893 करोड़ रू० पारिश्रमिक में आवंटित हुए।

बिहार में वित्तीय वर्ष 2009–10 में 1 करोड़ 28 लाख 74 हजार 291 श्रमिक मनरेगा अन्तर्गत निबंधित हुए, जबकि कुल 87,20,579 श्रमिकों को जॉब कार्ड दिया गया था। जिसमें से 2 लाख 15 हजार 400 श्रमिकों द्वारा रोजगार की माँग की, जिसके फलस्वरूप 2 लाख 15 हजार लोगों को काम दिए गए। इस अवधि में राष्ट्रीय स्तर पर 2 करोड़ 84 लाख श्रम दिवस सृजित किए गए।

रोजगार सृजित (बिहार में)

वित्तीय वर्ष	कुल श्रम दिवस का सृजन (करोड़ में)	परिवारों की संख्या जिनको रोजगार उपलब्ध कराया गया (करोड़ में)
2016–17	8,58,56,979	22,96,049
2017–18	8,17,22,340	22,47,365
2018–19	12,33,57,276	29,23,983
2019–20	14,16,22,681	33,69,504
2020–21	22,85,03,100	51,19,971
2021–22 (19.5.2021 तक)	2,98,84,154	15,79,790

(स्रोतः बिहार ग्रामीण विकास मंत्रालय की ऑफिसियल वेबसाइट)

कुल श्रम दिवसों में एस०सी०, एस०टी० एवं महिला श्रमिकों की भागदारी–मनरेगा कार्य (बिहार में)

वित्तीय वर्ष	अनुसूचित जाति (SC) की भागीदारी (प्रतिशत में)	अनुसूचित जनजाति (ST) की भागीदारी (प्रतिशत में)	महिला श्रमिकों की भागीदारी (प्रतिशत में)
2016–17	22.94	01.72	43.75
2017–18	21.17	01.61	46.57
2018–19	19.83	01.55	51.76
2019–20	15.67	01.42	55.85
2020–21	11.41	01.18	54.64
2021–22 (19.05.2021)तक	10.91	01.16	54.76

(स्रोतः बिहार ग्रामीण विकास मंत्रालय की ऑफिसियल वेबसाइट)

मनरेगा योजना में कार्यरत श्रमिकों की औसत मजदूरी 2021–22 में रू० 204 प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित की गई है, जबकि वर्तमान में (2021) बिहार में कार्यरत मनरेगा श्रमिकों को रू० 198 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के आधार पर दिया जाता है। मनरेगा के कारण भारत के ग्रामीण क्षेत्रों का जीवन स्तर मे सुधार हुआ है, साथ ही ग्रामीणों की बाजार–माँग में वृद्धि देखने को मिल रहा है। इसके कारण ग्रामीणों की प्रतिव्यक्ति आय में बढ़ोतरी हुई है। मनरेगा के कारण ग्रामीण भारत के सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। कृषि क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों को मनरेगा आने से पूर्व बहुत कम मजदूरी दर पर कार्य करना पड़ता था, क्योंकि ग्रामीण श्रमिकों को दूसरा विकल्प न के बराबर उपलब्ध था इसलिए वह कम मजदूरी दर पर भी कार्य हेतु मजबूर थे, लेकिन वर्तमान में ऐसी बात नहीं, क्योंकि मनरेगा के कारण किसानों को उनके खेतों में कार्यरत मजदूरों को सम्मानजनक मजदूरी देने को मजबूर है क्योंकि वर्तमान में अर्थात् मनरेगा आने के बाद ग्रामीण श्रमिकों के पास एक से अधिक विकल्प मौजूद है इसीलिए वह कम मजदूरी दर पर कार्य हेतु तैयार नहीं होंगे।

सुझाव

वर्त्तमान समय में मनरेगा का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, ग्रामीण क्षेत्रों पर इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर भी सरकार को और अधिक पारदर्शिता लाने हेतु इसमें अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके लिए संबंधित अधिकारियों की जागरूकता पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए, जिससे कार्यक्रम अपने उद्देश्य को और अधिक प्रभावशाली ढंग से पूरा कर सके।

निष्कर्ष

मनरेगा केन्द्र सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जो निर्धन ग्रामीण अकुशल लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाता है एवं ग्रामीण क्षेत्रों के सतत् विकास को बढ़ावा देता है। इसमें सामाज के वंचित वर्गो जैसेः अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों ने बढ़–चढ़कर हिस्सा लिया है, साथ ही महिलाओं की भागीदारी भी अपेक्षा से अधिक रही है, जो महिला सशक्तीकरण को प्रदर्शित करती है। मनरेगा के चलते ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के साथ–साथ ग्रामीणों के सामाजिक आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ हुआ है।

संदर्भ सूची

1. मिश्रा, जे०पी०, *"भारत में कृषि और सामाजिक सुरक्षा"*, कुरूक्षेत्र अंक–9, पृ०सं०–22, जुलाई 2020
2. काला, सुधा, *"पंचायती राज ग्रामीण विकास"*, कुरूक्षेत्र, अगस्त 2008 पृ०सं०–27
3. मिश्रा एवं पूरी, *भारतीय अर्थव्यवस्था*
4. Indian Economy Survey, 2017-18 to 2020-21
5. Bihar Economy Survey, 2017-18 to 2020-21
6. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की ऑफिसीयल साइट
7. बिहार ग्रामीण विकास मंत्रालय, बिहार सरकार की ऑफिसीयल साईट

****